प्रेस विज्ञप्ति
08.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत फेमा और आरबीआई के मास्टर निर्देशों के उल्लंघन के मामले में ऋषिकेश, दिल्ली और देहरादून में कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने खुफिया जानकारी विकसित की, कुछ लाइसेंस प्राप्त पूर्ण-विस्तृत मनी चेंजर्स (एफएफएमसी), उनके फ्रेंचाइजी और उनकी संबंधित संस्थाएं फेमा और आरबीआई मास्टर निर्देशों के तहत निर्धारित नियामक ढांचे के उल्लंघन में अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन में लगी हुई थीं और हवाला लेनदेन में भी कथित रूप से शामिल थीं। यह आरोप लगाया गया था कि विदेशी मुद्रा का विनिमय अनिवार्य अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आवश्यकताओं, निर्धारित प्रलेखन और चालान प्रक्रियाओं के बिना लाइसेंस प्राप्त ढांचे के बाहर किया जा रहा था।

तलाशी अभियान के दौरान मेसर्स गंगा फॉरेक्स प्रा. लि, मेसर्स जेपीजेएन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि, मेसर्स अल्पाइन फॉरेक्स प्रा. लि, मेसर्स जय जीन फॉरेक्स प्रा. लि, संबद्ध व्यावसायिक संस्थाएं मेसर्स जेपीजेएन जेम्स यूनिट और विंटेज इंडिया तथा उपरोक्त संस्थाओं के प्रबंधन में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई और विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित अन्य अभिलेखों के साथ-साथ 54.58 लाख रुपये (07.07.2026 रुपये की विनिमय दर के अनुसार) की विभिन्न न्यायालयों की विदेशी मुद्रा, 33.98 लाख रुपये की अघोषित भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण - मोबाइल फोन आदि बरामद कर जब्त कर लिए गए।

कथित उल्लंघनों की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से संस्थाओं और व्यक्तियों के एक गठजोड़ का पता चला है, जो घरेलू सहयोगियों और विदेशी संपर्कों के नेटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेनदेन को सुविधाजनक बनाते हैं। इसके अलावा, कुछ परिसरों में तलाशी कार्यवाही के दौरान भौतिक स्टॉक के मुकाबले रिकॉर्ड की गई शेष राशि के मुकाबले विदेशी मुद्रा में कमी/अधिकता देखी गई। ये विसंगतियां प्रथम दृष्टया इंगित करती हैं कि संस्थाओं द्वारा किए गए वास्तविक विदेशी मुद्रा लेनदेन के अनुसार लेखा पुस्तकों और स्टॉक रजिस्टरों को बनाए नहीं रखा जा रहा था। बिना हिसाब वाली नकदी और विदेशी मुद्रा की मौजूदगी से पता चलता है कि निर्धारित नियामक ढांचे का उल्लंघन करते हुए नियमित लेखा पुस्तकों के बाहर अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन किया जा सकता है।

फ्रैंचाइज़ियों के व्यावसायिक परिसरों में तलाशी कार्यवाही के दौरान, कोई खरीद रजिस्टर, ग्राहक-वार रिकॉर्ड, केवाईसी दस्तावेज, नकदीकरण प्रमाणपत्र या विदेशी मुद्रा की खरीद से संबंधित अन्य रिकॉर्ड नहीं पाए गए। आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज के अनुसार, एक फ्रेंचाइजी को केवल अपने फ्रेंचाइजर की ओर से विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति है और ऐसे लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है।

संपूर्ण वित्तीय पगडंडी की पहचान करने, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका का पता लगाने, लेन-देन के लाभार्थियों की पहचान करने और फेमा, 1999 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत उल्लंघनों की जांच करने के लिए जांच जारी है।

आगे की जांच जारी है।
